उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highways Division
लो0नि0वि0,सीतापुर –261001
UPPWD, Sitapur-261001

कैंचीपुल वाट्सगंज सीतापुर –261001
Kainchipul Whatsganj, Sitapur
e-mail:eenhsitapur@gmail.com

पत्रांकः– 05 /अधिष्ठान/2022–23

दिनांकः– 10/05/23

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक, सा०या० प्रभाग
सीतापुर (उ० प्र०)

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 डी के कि० मी० 00.000 से 33.200 तक(सीतापुर -हरदोई मार्ग) के अन्तर्गत दोनों पटरी पर सीतापुर वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वन की डी० एस० एस० एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध करने के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:- Online EDS dated – 03/04/2023 raised by your office on Parivesh Portal.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ का अवलोकन करें, जिसके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि का डी० एस० एस०एनालिसिस (DSS Analysis) कराए जाने को कहा गया है, जोकि तर्कसंगत नहीं लगता है | वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु Degraded Forest भूमि उपलब्ध कराना वन विभाग का कार्य है, एवं वृक्षारोपण का खर्च प्रयोक्ता एजेंसी (User Agency) द्वारा वहन किया जाता है |

अतः अनुरोध है, डी० एस० एस० एनालिसिस अपने स्तर पर कराके Forest Proposal पर आगे की कार्यवाहीकराने का कष्ट करें |

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
सीतापुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांकः /

दिनाँकः सीतापुर, 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
सीतापुर।

विषयः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–330डी0 के कि0मी0 33.200 से 38.800 तक (सीतापुर–हरदोई मार्ग) के अन्तर्गत दोनों पटरी पर सीतापुर वन प्रभाग की सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वन भूमि की डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2110/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/146875/2021 दिनांक 22.12.2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित परियोजनाओं में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में भूमि की उपलब्धता भारत सरकार के मानक 0.4 घनत्व से कम भूमि वृक्षारोपण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल के लिए विभाग के आई0टी0 सेल से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, मिश्रिख द्वारा निम्न प्रकार स्थलों का चयन किया गया है–

क्र0	चयनित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0)
1	बीकासुरग्रण्ट वन खण्ड	5.00
2	चन्द्रावल वन खण्ड	5.00
3	गौरिया वन खण्ड	10.00
4	मलिनिया वन खण्ड	5.00
5	कोड़री वन खण्ड	5.00
6	गन्धेरिया वन खण्ड	8.00
7	ढखिया वन खण्ड	5.00
8	मामूपुर वन खण्ड	5.00
9	फतेहनगर वन खण्ड	5.00
10	कुमाँऊग्रण्ट वन खण्ड	5.00

उपरोक्त विवरण इस आशय से प्रेषित है कि आप कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0.टी0 सेल, शीशम बाग, इन्दिरा नगर, लखनऊ से सम्पर्क कर उक्त स्थलों का डी0एस0एस0 एनालिसिस कराकर रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। डी0एस0एस0 एनालिसिस हेतु प्रस्तावित स्थलों के जी0पी0एस0. कॉर्डिनेट एवं के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 पत्र के साथ इस कार्यालय के पत्रांक 5317/14–1 दिनांक 29.03.2023 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की जा चुकी है।

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर